

महत्वपूर्ण एवं खास

बुखार को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

रायगढ़ । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी से मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ निवासी 24 वर्ष महिला जिसे 28 मार्च 2021 को तेज बुखार आया, तो उसने स्वयं से ही मेडिकल स्टोर से पैरासीटामॉल खरीदकर खा लिया और इलाज हेतु किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई, उसे 01 अप्रैल 2021 को कमजोरी महसूस हुई और चक्कर आने लगा तो जिला चिकित्सालय लाया गया वहां से मेडिकल कालेज लाया गया। वहां पर उसे आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया गया तथा महिला का कोविड सैंपल लिया गया। जिसमें वह पॉजिटिव आई थी। वहां इलाज के दौरान ही 02 अप्रैल 2021 को उसकी मृत्यु की दुखद खबर आई। सुझाव-अभी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अतः स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार के सर्दी, बुखार, खांसी, हाथ-पैर दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त, सूंघने की क्षमता कम होना, स्वाद न लगना आदि को साधारणतः न लेते हुये स्वयं से कोरोना जाँच के लिये आगे आए और अपने सेहत की सुरक्षा करें।

दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी, एक की मौत, 304 ए के तहत अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफतार बाईक सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। जिसके चलते स्पलेण्डर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 27 मार्च को रात 09 बजे तेज रफतार एवेंजर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 07 ई 2459 का चालक लापरवाही पूर्वक बाईक चलाते हुये सामने से आ रही स्पलेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एनजी 9867 से जा रहे पंकज निर्मलकर 22 वर्ष पिता स्व.संतोष निर्मलकर को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। जिसके चलते उसे गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एवेंजर चालक के खिलाफ मार्ग कायम कर धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया है।

महिला को दी अश्लील

गालियां, आरोपी जेल दखिल कोरबा (आरएनएस)। सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए एवं महिला के मोबाइल नंबर को अपलोड कर कामोत्तेजक बातें लिखने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दखिल कराया है। पीड़ित महिला ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट लिखाई थी कि राहुल राज नामक व्यक्ति 2 माह से फेन पर अश्लील गालियां, गंदी-गंदी बातें कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर भी गंदी बातें बोलकर बदनाम करता है। रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 506, 506 ,2 509 ख भादवि तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया। टीआई दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में आरोपी की तलाश शुरू हुई तो निहारिका क्षेत्र में छिपे होने का पता चला। एसआई हेमंत पाटले, लालन पटेल, एएसआई बीपी खांडेकर, आरक्षक दीपेश प्रधान, विक्रम नारांग व देवेन्द्र राजपूत ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अपराध कबूल करने उपरांत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई।

आजाद चौक थाना अंतर्गत करबला तालाब शीतला/शनि मंदिर के सामने कंटेनमेंट जोन घोषित

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 07 अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड क्षेत्र अंतर्गत करबला तालाब शीतला/शनि मंदिर के सामने (थाना-आजादचौक) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में करबला तालाब शनि मंदिर के सामने, पश्चिम में जलन्दा 14 रिसायकल मार्ग और उत्तर में प्रेमलता निवास चौबे कॉलोनी तथा दक्षिण में शीतला मंदिर के सामने तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं।

निर्माणधीन मकान का ताला तोड़कर 07 बंडल बिजली तार चोरी, अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। निर्माणधीन मकान का स्टोर रूम का ताला तोड़कर 07 बंडल बिजली वायर को किसी ने चोरी कर लिया। घटना की रिपोर्ट मुजगहन थाने में दर्ज कराया गई है। मिली जानकारी के अनुसार 54 सी कांदूल रोड, वेदांता सिटी निवासी जनार्दन चौबे ने थाने में शिकायत दर्ज कराया है कि वेदांता सिटी कांदूल रोड मकान निर्माण करवा रहा है।

हाथी दांत काट ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ । दिनांक 29 मार्च 2021 की सुबह वन अमले को सूचना मिली कि एक जंगली हाथी ग्राम कंचौरा के जंगल कक्ष क्रमांक 707 आर एफ में मरा पड़ा है। वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर पहुंचे। शाम होने के कारण 29 मार्च 2021 को कार्य स्थगित रहा। 30 मार्च 2021 की सुबह से मौके का वरिष्ठ अधिकारी गण एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि मृत जंगली हाथी नर है एवं पहाड़ी से संतुलन खोकर फिसल कर गिरने से वह बुरी तरह चोटिल हो गया एवं एक दो दिनों तक लगातार उठने की कोशिश करते हुए पेट के बल बैठ कर मृत हो गया। उसके दोनों दांत को अज्ञात अपराधियों द्वारा काट ले जाया गया था जिसकी पता साजी प्रारंभ की गई। इसमें वनमंडल अंबिकापुर वन परिक्षेत्र

कमलेश्वरपुर के वन अमले एवं वरिष्ठ अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग लिया गया। 31 मार्च 2021 को ग्राम डांडकेसरा से प्रारंभिक पूछताछ हेतु 06 व्यक्तियों को लाया गया। 01 अप्रैल 2021 की सुबह से ग्राम छपराडांड से तीन व्यक्तियों को पूछताछ हेतु लाया गया। वन विभाग द्वारा जांच के बढ़ते दबाव के कारण अपराधियों की हिम्मत टूटी और उनमें से किसी ने चोरी किये गए दांत को जंगली हाथी के मृत्यु स्थल की ओर जाने वाले ललेया से छपराडांड मार्ग पर एक प्लास्टिक में डाल कर रख दिया। जिसकी 02 अप्रैल 2021 को जसी की गई। जसी स्थल पर सौभर डांडा को जप्त किये गए जंगली हाथी के दांत को सुंचा कर छोड़ दिया गया तो वह भागते हुए लगभग 250 मीटर दूर स्थित भागेश्वर वल्ड रघुनाथ के घर में घुस गया एवं

जोर से भौंकने लगा। दीना वल्ड बुधराम, धनेश्वर वल्ड बंधन, बरातु वल्ड एतवा, शिया वल्ड भिनु, बली वल्ड दलू राम सभी निवासी डांडकेसरा एवं भागेश्वर वल्ड रघुनाथ निवासी ललेया को पूछताछ के लिये लाया गया। आरोपी दीना वल्ड बुधराम उम्र-30 वर्ष डांडकेसरा थाना कमलेश्वरपुर द्वारा जानकारी दी गई कि उसने अन्य तीन साथियों राजकुमार वल्ड बंधन उम्र 30 वर्ष साकिन डांडकेसरा थाना कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा छ.ग., जगनारायण उर्फ गुडन वल्ड बुधराम उम्र-21 वर्ष साकिन डांडकेसरा थाना कमलेश्वरपुर एवं देवान वल्ड बंधन उम्र-21 वर्ष साकिन डांडकेसरा थाना कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा के साथ मिल कर भागेश्वर वल्ड रघुनाथ उम्र 57 वर्ष साकिन ललेया थाना कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा छ.ग द्वारा पैसे का लालच दिये

जाने पर हाथी दांत को काटा था। भागेश्वर वन परिक्षेत्र कमलेश्वरपुर द्वारा उसके ग्राम से लगे जंगल में किये गए मिश्रित रोपण का सुरक्षा चौकीदार है।

उक्त रोपण क्षेत्रा जंगली हाथी के मृत्यु स्थल से आधे से एक कि.मी. की दूरी पर ही है। दीना ने बयान दिया कि राजकुमार ने उसे बताया था कि भागेश्वर ने उसे कहा है कि एक हाथी रायगढ़ जिले के जंगल में मरा पड़ा है। उसके हाथी दांत को निकाल कर मुझे लाकर दोगे तो दो हजार रूपये दूंगा। होली के दिन 29 मार्च 2021 को हमने हाथी दांत को काटा और मुझे नाले में धोकर राजकुमार के घर लाये उसमें सरसों का तेल डाले ताकि गंध ना आये। राजकुमार के घर में ही चूल्हे के पास एक गड्ढा खोद कर हाथी दांत को उसमें डाल कर मिट्टी पाट दिये। वन विभाग के द्वारा

जाँच बढ़ता देख उसे मुड़ेरा नाले में छिपा दिये। 01 अप्रैल 2021 की रात 10 बजे भागेश्वर के घर जाकर उसके हाथ में देकर आ गये और शर्त अनुसार पैसे मांगने लगे किन्तु भागेश्वर ने कहा की मामला खत्म होने दो फिर दूंगा। भागेश्वर ने हाथी दांत को रात भर घर में रखा किंतु जाँच का दबाव देख कर हाथी दांत को सूर्योदय से पहले ही ललेया-छपराडांड मार्ग पर उसे रख दिया जहाँ से वन अमले ने हाथी दांत को 02 अप्रैल 2021 को जप्त किया था। इसमें से भागेश्वर वल्ड रघुनाथ, दीना वल्ड बुधराम, राजकुमार वल्ड बंधन एवं जगनारायण वल्ड बुधराम की पूछताछ उपरांत गिरफ्तारी 04 अप्रैल 2021 को की गई है एवं न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अन्य आरोपी एवं अन्य साक्ष्यों की जाँच पड़ताल जारी है।

3 ट्रकों में लोड 18 लाख कीमती 54 टन अवैध कबाड़ जप्त

» ओडिसा से पूंजीपथरा लाये जाने की सूचना पर पतपूंजीपथरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

रायगढ़। अवैध कबाड़ पर कार्यवाही कर चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा कबाड़ के अवैध परिवहन पर आज तीन बड़ी कार्यवाही की गई है, पूंजीपथरा टीआई कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा ओडिसा से पूंजीपथरा लाई गई तीन ट्रकों को सराईपाली व तराईमाल के पास मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है, तीनों ट्रकों से लोहे का छड़, एंगल, चादर के टुकड़े लोड था, तीनों ट्रकों के कबाड़ का वजन करीब 54.5 टन, कीमती 18,06,840 रुपये का है । वाहन चालकों पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया



हाथी आशीष रात्रे के हमराह आरक्षक बालचंद राव, धर्मेद ठाकुर, वीरेंद्र कुमार कंवर, विद्याधर सिदार की बनाई गई। दोपहर में सराईपाली एवं तराईमाल के पास पुलिस की जांच को देख वाहन चालकों को वाहन छोड़ भागने लगे, जिन पर पुलिस को संदेह हुआ और उन्हें पकड़कर पूछताछ करने पर ओडिसा से स्कूप लेकर आना बताया है।

घर में मृत अवस्था में मिली महिला पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज

रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ अन्तर्गत ग्राम साजापाली में रहने वाले चन्द्रसाय राठिया पिता पंचराम राठिया उम्र 48 वर्ष द्वारा दिनांक 03.04.2021 को थाना धरमजयगढ़ में उसकी पत्नी चन्द्रवती राठिया (45 साल) की घर अंदर मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना दिया । सूचना पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक अंजना केरकेट्ट, उप निरीक्षक प्रवीण मिंज व हमराह स्टाफ घटनास्थल ग्राम साजापाली पहुंचे, शव पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया । घटना के संबंध में मार्ग क्रमांक 26/2021 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया । शर्ट पीएम रिपोर्ट पर मुक्तिका कि मृत्यु होमोशायडल नेचर लेख किये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनांक 03.04.2021 को अप.क्र.

70/2021 धारा 302 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया है । मृतिका के पति ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 02/04/2021 के प्रातः घर के सभी लोग महुआ बीनने चले गये थे । उसकी पति श्रीमति चन्द्रवती राठिया (मृतिका) भी डोंगाघाट महुआ बीनने गयी थी जो महुआ लेकर सुबह करीब 10.30 बजे घर आयी । दोपहर करीब 03.00 बजे छोटा भाई खेत में आकर चन्द्रवती के घर में गिरे पड़े होना बताने पर घर जाकर देखा और चन्द्रवती को आवाज देकर हिलाकर व पलटकर देखा तो चेहरे में सिर, कपाल तरफ चोट व खून निकला हुआ दिख, फौत हो चुकी थी । धरमजयगढ़ पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर सभी पहलुओं पर परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ किया जा रहा है ।

महिलाओं को स्वावलंबी व रिकल्ड बनाने आय मूलक गतिविधियों से जोड़े-कलेक्टर भीम सिंह

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह कल कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आजीविका मूलक कार्यों से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि समूह के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न आय मूलक गतिविधियों से जोड़े ताकि वे रिकल्ड हों और स्वावलंबी बनें। कलेक्टर सिंह ने जिले के प्रत्येक विकासखण्ड के विभिन्न गौठानों में बनाये जा रहे मल्टी एक्टिविटी सेंटर में चिन्हांकित गतिविधियों की जानकारी ली। विकासखण्डवार कार्यक्रम अधिकारियों ने गौठानों में की जा रही आजीविका मूलक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने समूहों के कार्य को व्यवस्थित करने तथा स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद गतिविधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। चिन्हांकित गतिविधियों से जुड़ी ट्रेनिंग देने तथा संसाधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने गौठानों को इंटरस्टीज से टाईअप करने को कहा। जिससे वहां से तैयार उत्पाद के लिए स्थानीय स्तर पर एक बाजार तैयार हो।



एक्टिविटी की जानकारी ली। सभी वन धन केन्द्रों में पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित विभागों को वित्तीय वर्ष की उपलब्धि एवं आने वाले वर्षों में क्या लक्ष्य है उसकी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने रेशम विभाग में हो रहे कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर उप चिन्हांकित रेशम कंवर ने जानकारी दी कि 160 हेक्टेयर में अर्जुन, साजा के पौधे तैयार किये जा रहे हैं। जिसमें 6 लाख 56 हजार पौधे लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 7 लाख 80 हजार पौधे तैयार हैं। जिले में ही करना है आंगनबाड़ी केन्द्रों में सप्लाई के लिये अंडे का उत्पादन- इसके साथ ही कलेक्टर सिंह ने पशुपालन विभाग के कार्यों के चर्चा के माध्यम से लाभान्वित करना है। जिससे वे आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़ सकें। उन्होंने जनपद पंचायतवार बने वनधन केन्द्रों तथा वहां संचालित

पत्नी की लोहे के बिंधना से सिर पर मारकर हत्या आरोपी गिरफ्तार, लैलूंगा के ग्राम सोनाजोरी की घटना

रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम सोनाजोरी में रहने वाले गुनु एका उम्र 55 वर्ष द्वारा आज दिनांक 04.04.2021 को उसकी लड़की हीरमती उम्र 28 वर्ष की उसके पति बुधियार साय एका 35 वर्ष द्वारा दिनांक 03.04.2021 के दोपहर झगड़ा विवाद कर लोहे के बिंधना से सिर में मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । जानकारी के मुताबिक हीरमती

का विवाह लगभग 15 साल पहले सोनाजोरी बुधियार साय एका के साथ हुआ था, दोनो रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। दोनो के दो लडके हैं । बुधियार शराब पीकर उसकी पत्नी से झगड़ा मारपीट करता था, दिनांक 03.04.21 के दोपहर करीब 2.30 बजे बुधियार उसकी पत्नी हीरमती को मारपीट रहा था, रोने चिल्लने की आवाज सुनकर पड़ोसी जाकर देखे । बुधियार दरवाजा नहीं खोल रहा था, तब दरवाजा को लात मारकर खोले ।

लैलूंगा अस्पताल लेकर गये । डॉक्टर द्वारा आहिता को रायगढ़ ले जाने के लिये कहने पर रायगढ़ लेकर गये थे, जहां हीरमती की मृत्यु हो गई । थाना कोतवाली पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया । थाना लैलूंगा में आरोपी बुधियार साय एका पिता शनिचरी एका उम्र 35 साल नया बरखरहा सोनाजोरी थाना लैलूंगा के विरुद्ध अप.क्र. 108/2021 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।



अंदर देखे बुधियार एका हाथ में लोहे का बिंधना लिये खुन से लतपत हालत में खड़ा था, जमीन में हीरमती गिरी पड़ी थी, जिसे

पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर भतीजे पर टांगी से हमला

तमनार के ग्राम झरना की घटना, आरोपी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज

रायगढ़। रविवार को थाना तमनार में बृषभानु प्रसाद राठिया पिता विजय राम राठिया उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम झरना द्वारा पारिवारिक विवाद पर इसके लड़के देवनारायण राठिया (38 साल) के इसक छोटे भाई भानू राठिया (50 साल) द्वारा हत्या की नियत से टांगी से मारकर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 114/2021 धारा 294, 506, 452, 307 भादवि दर्ज किया गया है । रिपोर्टकर्ता बताया कि करीब 05-06 माह पहले से छोटे भाई भानू राठिय से जमीन व विवाद है, भानू राठिया कहता है कि जमीन जयदाद का बटवारा अपने लडकों के बीच में कर दो जिसे जीते तक नहीं करूंगा बोला तो भानू राठिया

बातचीत नहीं चलता है पर हमेशा शराब पीकर गाली गलौच करता है और घर परिवार के जान से मारने की धमकी देते रहता है । दिनांक 03/04/2021 के शाम भानू राठिया शराब पीकर घरवालों के मारपीट की धमकी दे रहा था, जिसे सुनकर सभी चौकन्ना होकर थे कि रात को देवनारायण राठिया अपने मामा सहदेव राठिया के साथ घर के गली में अगल बगल खाट में सोया था जिसे आज भोर करीब 04/00 बजे भानू राठिया घर घुसकर देव नारायण के टांगी से गर्दन एवं पीठ के पीछे मारा देव नारायण का मामा भानू के मारपीट करने से बीच बचाव किया, झगड़ा विवाद की आवाज सुनकर घरवाले जाग गये। भानू राठिया मौके से भाग गये । आहत को तमनार हास्पिटल में भर्ती कराया गया । घटना के बाद से आरोपी फरार है, तमनार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है, जिसके शीघ्र गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है।